ध्मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर – 462 016

भोपाल, दिनांक 17 मई, .2007

क्रमांकः 850/म.प्र.विनिआ/2007. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 43(1) सहपठित धारा 181 (2)(टी), धारा 46 सहपठित धारा 181(1), धारा 50 सहपठित धारा 181(2)(एक्स) तथा मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2001) की धारा 9(जे) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा क्रमांक 861–विनिआ–04 दिनांक 27 मार्च, 2004 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में निम्न संशोधन करता है ।

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में चौदहवां संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :

(i) यह संहिता **''मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (चौदहवां संशोधन) (क्रमांक एजी–1 (xiv), वर्ष 2007)'' कही जावेगी ।**

(ii) यह संहिता मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी ।

(iii) इस संहिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

2. अध्याय 3 में संशोधन :

(i) मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 की **कण्डिका 3.4** में शीर्षक ''उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली वोल्टेज'', के अन्तर्गत तालिका में निम्न प्रतिस्थापना की जावेगी, अर्थात् :

''कालम न्यूनतम संविदा मांग के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति वोल्टेज 132 केव्हीए के विरूद्ध अंको'' 2500 केव्हीए'' को अंको ''5000 केव्हीए'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जावेगा ।''

(ii) कथित कण्डिका 3.4 में, तालिका के अन्त में निम्न उपकण्डिकाएं प्रतिस्थापित की जावेंगी, अर्थात् :

''निम्न दाब पर विद्युत प्रदाय कर रहे उपभोक्ता का संयोजित भार 100 अश्वशक्ति से अधिक नहीं होगा ।

सामान्यतः, 33 केव्हीए पर संयोजन 300 केव्हीए से कम की संविदा मांग हेतु नहीं दिया जावेगा । तथापि, नवीन संयोजन की स्थिति, संभावना, आवश्यकता तथा प्रयोजन पर निर्भर, अनुज्ञप्तिधारी स्वविवेक द्वारा 33 केव्ही पर 300 केव्हीए से कम 100 केव्हीए की न्यूनतम सीमा तक संयोजन का अनुमोदन कर सकेगा ।

सामान्यतः, 132 केव्हीए पर संयोजन 5000 केव्हीए से कम की संविदा मांग हेतु नहीं दिया जावेगा । तथापि, नवीन संयोजन की स्थिति, संभावना, आवश्यकता तथा प्रयोजन पर निर्भर, अनुज्ञप्तिधारी स्वविवेक द्वारा 132 केव्ही पर 5000 केव्हीए से कम 2500 केव्हीए की न्यूनतम सीमा तक संयोजन का अनुमोदन कर सकेगा ।

विद्यमान उपभोक्ता, जिनकी विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर संविदा मांग उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट की गई न्यूनतम तथा अधिकतम संविदा मांग की सीमा के अन्तर्गत न आती हो, ऐसे उपभोक्ताओं पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय वोल्टेज में परिवर्तन किये जाने हेतु, उसे उपरोक्त दर्शाई गई तालिका के अनुसार इसे विनिर्दिष्ट सीमा में रखे जाने बाबत् आग्रह नहीं किया जावेगा जब तक कि ऐसा उपभोक्ता इस बाबत अनुरोध न करे तथा ऐसे परिवर्तन संबंधी व्यय को वहन किये जाने हेतु सहमत न हो ।

33 केव्हीए पर 300 केव्हीए से कम तथा 132 केव्ही पर 5000 केव्हीए से कम भारों हेतु परिशुद्ध मापन हेतु करंट ट्रांसफार्मर (सी टी) की लागत तुलनात्मक रूप से अधिक हो सकती है तथा अनुज्ञप्तिधारी ऐसे मीटरीकरण हेतु आयोग से विविध तथा सामान्य प्रभारों हेतु अनुसूची के अन्तर्गत अनुमोदन प्राप्त कर उपयुक्त भाड़ा प्रभारित कर सकता है ।

परन्तु और यह भी कि प्रणाली की उपलब्धता की कठिनाई या अन्य किसी कारणों से अनुज्ञप्तिधारी स्व–विवेक से उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये भार की श्रेणी के आपूर्ति वोल्टेज की जगह किसी अन्य श्रेणी के आपूर्ति वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय कर सकता है । उपरोक्त तालिका में विभिन्न वोल्टेज स्तर पर अधिकतम एवं न्यूनतम संविदा मांग की सीमाओं को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परस्पर सहमति एवं अनुबंध के आधार पर, विशेषतः रेलवे के प्रकरणों में, वास्तविक आवश्यकता एवं साध्यता के अनुसार शिथिल किया जा सकता है ।

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, आयोग सचिव